



नंदकुमारसिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लव-कुशनगर, मूंदीरोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/8229 /स्थापना प्र. द्वि./2022

खण्डवा, दिनांक : 26/12/2022

// विज्ञापित //

1. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-53/2017/1/55 दिनांक 12/01/18 द्वारा मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय "शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" के अंतर्गत नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अधीन नवीन अनुसूची दिनांक 11/04/2022 के अनुसार प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, इस हेतु आवेदन पत्र नंदकुमार सिंह चौहान, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के लिए दिनांक-

07/01/2023 सांय 05:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) की वेबसाइट www.gmckhandwa.org एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **Dean and CEO, Nandkumar Singh Chouhan Government Medical College, Khandwa** के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर नंदकुमार सिंह चौहान चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (स्थापना शाखा) की ई-मेल आई. डी. estt1st2ndclass@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।

3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी" का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(डॉ. अनंत टी. पवार)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नं.सिं.चौ.शा.चि.म. खण्डवा

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय "शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" के अन्तर्गत नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अधीन सीधी भर्ती (नवीन अनुसूची-2 कॉलम-4) एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती (नवीन अनुसूची-2 कॉलम-5 टीप-2 के अनुसार) के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र	विभाग का नाम	प्राध्यापक				सह-प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OB C
1	रेस्पिरेटरी मेडिसीन	-	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
2	एनेस्थिसिया	01	-	-	-	01	-	01*	-	01	01*	01*	-
3	रेडियो डायग्नोसिस	01	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
कुल पद		02	-	-	-	03	-	01	-	03	01	01	-

- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST =अनुसूचित जनजाति, OBC =अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित हैं।
- *बैकलॉग पद
- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी अनुसूची-2 टीप-1 के अनुसार, उपरोक्त विज्ञापित पदो पर राज्य शासन निर्देशानुसार सीधी भर्ती रोस्टर एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती रोस्टर संधारित कर लागू किया गया है।
- पदों की संख्या अधिक/कमी की जा सकती है। पूर्व विज्ञप्तियों में विज्ञापित ऐसे पद जिन्हें विज्ञापित उपरांत संस्था द्वारा साक्षात्कार नहीं लिया गया ऐसे समस्त पूर्व में विज्ञापित पदों के साक्षात्कार की प्रक्रिया निरस्त की जाती है तथा वर्तमान विज्ञप्ति में विज्ञापित किये जाने वाले पदों पर आवेदक को पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
- यह नियुक्तियाँ नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होंगी।

1. वेतनमान	-	
प्राध्यापक	-	144200
सह प्राध्यापक	-	131400
सहायक प्राध्यापक	-	68900

(7 वें वेतनमान अनुसार)

टीप -समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा -		न्यूनतम
प्राध्यापक	-	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	-	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	-	25 वर्ष

टीप-आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा व जाति आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. अर्हताये :-

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022" अधिसूचना क्रमांक F.No. NMC/MCI-23(I)/2021-MED., अधिसूचना जारी दिनांक 14 फरवरी 2022 अनुसार शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हता एवं अनुभव। **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग सूचना पत्र क्रमांक NMC/34(41)/2021/Med. Misc./047068, सूचना पत्र जारी दिनांक 20/12/2021 के अनुसार संबंधित अनंतिम छूट दिनांक 31/12/2022 तक लागु।
- ***एमसीआई राजपत्र अधिसूचना क्रमांक MCI-12(1)/2017- Med.Misc./115698 जारी दिनांक 08/06/2017 ओर इसके "अकसर पूछे जाने वाले" (New FAQ)जारी दिनांक 17/08/2017 बिन्दु क्रमांक 01, 27, 20, 31 एवं 14 अनुसार :- ऐसे आवेदक जो दिनांक 08/06/2017 को पहले से ही

भारत में एमसीआई की अनुमति/मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है, ऐसे आवेदकों को भारत में एमसीआई/एनएमसी की अनुमति/मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विषय में 01 वर्ष के पोस्ट पीजी एसआर/ट्यूटर का अनुभव (दिनांक 08/06/2017 की जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार) आवश्यक/अनिवार्य नहीं है। अधिसूचना दिनांक 08/06/2017 को भविष्यलक्षी प्रभाव रूप से लागू किया जाना है न की पूर्ववयापी रूप से। ऐसे आवेदक जिनकी भारत के चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) में प्रथम फ्रेश नियुक्ति दिनांक 08.06.2017 के पश्चात है/या की जा रही है (उनके चिकित्सा शिक्षक पेशा/अजीविका/करियर में), एमसीआई/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता/अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) में एक वर्ष की अवधि के लिये संबंधित विभाग में सीनियर रेसीडेन्ट/प्रदर्शक (स्नातकोत्तर डिग्री पश्चात) के पद पर कार्य किया हो तो उसे सीधे सहायक प्राध्यापक पद के लिये पात्रता होंगी। आवेदक एमसीआई/एनएमसी द्वारा उन्हे जारी संबंधित पद के लिये "पात्रता पुष्टीकरण प्रमाण पत्र" (MCI/NMC letter issued to applicant regarding confirmation of eligibility for a particular post in a medical college in India) अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं। किसी चिकित्सा महाविद्यालय में एमसीआई/एनएमसी निरीक्षण के दौरान एमसीआई/एनएमसी निरीक्षणकर्ता द्वारा चिकित्सा शिक्षक पद पर स्वीकार किये जाने के घोषणा पत्र (MCI/NMC Declaration form) की प्रतियां किसी भी चिकित्सा शिक्षक पद के लिये "पात्रता पुष्टीकरण प्रमाण पत्र" के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

5 निरहतायें-

- 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
- 5.2 दुष्चरित्र होने पर।
- 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध, दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- 5.5 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 5.7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 5.9 स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
- 5.10 एमसीआई/एनएमसी के अनुसार, चिकित्सा महाविद्यालय को एलओपी मिलने से पहले प्राप्त चिकित्सा शिक्षक का अनुभव/ऑनरेरी/विदेशी संस्थानों/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर प्राप्त अनुभव, भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्णकालिक चिकित्सा शिक्षक के उच्च पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के लिए मान्य/स्वीकार्य नहीं है।
- 6 उक्तपदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा अनुबंध पर की जावेगी।
- 7 मध्यप्रदेश शासन के अन्य स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत चिकित्सा शिक्षक, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये ऐसे शासकीय सेवक को मूल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा एवं अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 8 चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

- 9 ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
- 10 आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
- 11 मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चिकित्सक हेतु मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
- 12 **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:**—नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक— **07/01/2023** सायं **05:30** बजे तक नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आवक—जावक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा (स्थापना प्र.द्वि. शाखा) की ई-मेल आई. डी. **estt1st2ndclass@gmail.com** पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी "चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन" एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की संभावित दिनांक एवं इस सम्बन्ध में आगे की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें अलग-अलग आवेदन करना होगा।
- 13 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त मूल दस्तावेजों एवं एक सेट छायाप्रति स्व-प्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से लावें।
- 14 चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तोंको पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।




(डॉ. अनंत टी. पवार)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नं.सिं.चौ.शा.चि.म. खण्डवा

आवेदन का प्रारूप

.....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि- 07/01/2023)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।



1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान पद एवं कार्यस्थल/संस्थान.....
5. वर्तमान संस्थान जहां कार्यरत है प्रायवेट है या शासकीय है.....
6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
7. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
8. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
9. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
10. दिनांक 01/01/2022 को आवेदक की आयुदिन माहवर्ष
11. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
12. विवाह का दिनांक-
13. विवाह के समय आपकी उम्र..... वर्ष..... माह..... दिन.....
पति/पत्नि की उम्र..... वर्ष..... माह..... दिन.....
14. आपके बच्चों की संख्या.....
15. यदि बच्चों की संख्या 03 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक.....
16. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

17. मेडिकल काउन्सिल/ डेन्टल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

अ. (एम.बी.बी.एस.)(बी.डी.एस.)--

ब. एमडी/ एमएस/ एम.डी.एस.)--

स. एमसीएच/ डीएम--

18. शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	संस्था/ बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
MBBS/BDS/Msc First Prof.						
MBBS/BDS/Msc Second Prof.						
MBBS/BDS/Msc Final Part I						
MBBS/BDS/Msc Final Part II						
MD/MS/MCH/DNB/ DM/MDS/PhD						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

For D.N.B. candidates:-

D.N.B. course duration (in years)	Number of beds in teaching hospital where D.N.B. course was conducted	Eligibility of D.N.B. guide's/supervisor's as PG teacher as per MCI/NMC TEQ	Post D.N.B. S.R. ship/ Research Associate (CISR) in MCI recognized / permitted institution(required for acquiring/ gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ)

D.N.B. candidate after acquiring/gaining equivalence with MD/MS/DM/M.Ch as per MCI/NMC TEQ, further one year SR/Tutor in concerned subject/specialty in MCI/NMC recognized /permitted institution(in accordance with MCI/NMC TEQ amendment dated 8th June 2017) :-

19. शैक्षणिक अनुभव :-

Post	Name of the Institute with address:	Date of (G.O.I.) L.O.P. issued to the said institute:	Institute Recognized/ Permitted by MCI/NMC	Type of appointment as Permanent Full time / Contractual Full time / Regular Full time / Part time / Honorary / Visiting Faculty	Work experience		Duration (in Years , Month and days)
					From (Date)	To (Date)	
Professor							
Designate Professor as per MCI Notification 22 Jun 2018							
Associate Professor							
Assistant Professor							
***Post PG SR / Tutor							
PG Resident							

***Whether serving as teaching faculty(Professor/Associate Professor/Assistant Professor) in a Medical college in India on 8th June 2017:- YES / NO.

**For Designate Professor, kindly attach "300 bedded or more Government District Hospital (which is going for LOP of concerned medical college) 18 years Hospital Service Experience Certificate in concerned subject/department (as per MCI/NMC rule dated 22 Jan 2018)".

20. रिसर्च पब्लिकेशन :-

Details of **Original Research Article/Papers** published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-

No.	Publication Title & Journal name	Date of Publication	Published during tenure of Professor/ Assoc. Prof/ Assist. Prof/ PG	Author number First/Second/ Third /Corresponding Author (as per MCI/NMC Norms)	Name of the Journal Index, as per MCI/NMC Norms* & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International(I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						

*1. Medline 2. Pubmed Central 3. Science Citation Index, 4. Science Citation Index Expanded 5. Embase 6. Scopus, 7. Directory of Open Access Journals(DoAJ).

*As per MCI/NMC TEQ amendment dated 12/02/2020] previous criteria of First/Second author in Original Research Article/Paper in Journal indexed in 1. Scopus 2. Pubmed 3. Medline 4. Embase/Excerpta Medica 5. Index Medicus 6. Index Copernicus (for new fresh appointments on higher post) acceptable till 11/02/2022.

Details of **Systematic Review Papers** published in Indexed Journal as first/second/ third/corresponding author :-

No.	Publication Title & Journal name	Date of Publication	Published during tenure of Professor/ Assoc. Prof/ Assist. Prof/ PG	Author number First/Second/Third /Corresponding Author	Name of the Journal Index, as per MCI/NMC Norms* & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International(I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

****1. Medline 2. Pubmed Central 3. Science Citation Index, 4. Science Citation Index Expanded 5. Embase 6. Scopus, 7. Directory of Open Access Journals(DoAJ).

Details of **Meta-analysis Papers** published in Indexed Journal as first/second/ third/corresponding author :-

No.	Publication Title & Journal name	Date of Publication	Published during tenure of Professor/ Assoc. Prof/ Assist. Prof/ PG	Author number First/Second/Third /Corresponding Author	Name of the Journal Index, as per MCI/NMC Norms* & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International(I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

Details of **Case Series Papers** published in Indexed Journal as first/second/third/corresponding author :-

No	Publication Title & Journal name	Date of Publication	Published during tenure of Professor/Assoc. Prof/Assist. Prof/ PG	Author number First/Second/Third /Corresponding Author	Name of the Journal Index, as per MCI/NMC Norms* & P-ISSN no.	Journal type National(N)/International(I), Print/E online Journal
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						

****1. Medline, 2. Pubmed Central , 3.Science Citation Index,4. Science Citation Index Expanded, ,5. Embase ,6.Scopus, 7. Directory of Open Access Journals(DoAJ).

21.Other Information-

1.	Principal Investigator/Co Principal Investigator in Research Project of ICMR/DST/DBT/Any National Research Body , in lieu of Publication/authorship:-	
2.	Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC.	
3.	Editor of Journal /Member of Editorial board:-	
4.	Written book/Chapter in book:-	
5.	National Award /State Award for:-	
6.	Fellowship	
7.	Membership of Scientific Research Society:-	
8.	Good Clinical Practice Workshop:-	
9.	Any Extracurricular Activities:-	
10.	Revised Basic Course in MET, AT-COM, CISP from institution designated by MCI/NMC.	
11.	Organized Conference(National/State)	
12.	Scientific Paper/Poster Presentations at Conference/CME/CDE:	

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की संपूर्ण सूची:-(Whichever applicable)

- 1). 1st M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
- 2). 2nd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
- 3). 3rd M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Marksheet
- 4). 4th Part I B.D.S. Marksheet
- 5). 4th Part II B.D.S. Marksheet
- 6). AT-COM, Revised Basic course in MET, CISP from institution designated by MCI/NMC
- 7). M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Degree Certificate
- 8). M.B.B.S./B.D.S./M.Sc. Attempt Certificate
- 9). M.B.B.S./B.D.S. Registration Certificate
- 10). M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Mark sheet Certificate
- 11). M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Degree Certificate
- 12). M.S./M.D./D.N.B/M.D.S./PhD. Attempt Certificate
- 13). M.S./M.D./D.N.B/M.D.S. Registration Certificate
- 14). Certificate of Basic course in Biomedical Research from institution designated by MCI/NMC
- 15). Certificate of Revised Basic Course in MET & AT-COM from institution designated by MCI/NMC
- 16). Teaching Experience Certificates of Professor/Associate Professor/Assistant Professor in Medical College
- 17). Post-PG one year experience certificate of S.R./ Tutor in concerned subject in a MCI/NMC permitted/recognized Medical College.
- 18). PG Resident Experience Certificate
- 19). Tenth Mark sheet/Certificate or Birth Certificate

- 20).Adhar Card
- 21). PAN Card
- 22).Copies of Research Publications
- 23).Papers/Poster presented at Conference /CDE/CME
- 24).Internship completion certificate
- 25).paper's/Poster presented at Conference/CDE/CME
- 26).Copies of Research Publication with proof of Indexing.
- 27).....
- 28).....
- 29).....

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जाँच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर